अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती रजनी शेरावत पत्नी श्री सचिन मुण्डोतिया पुत्री श्री राधेश्याम शेरावत जाति रेगर निवासी एच 24ए–3,सागर श्योपुर नीयर चौधरी पब्लिक स्कूल, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. गोकुल चन्द पुत्र श्री घासीराम
2. श्रीमती सुगना देवी उर्फ सुमन पत्नी श्री गोकूल चन्द

निवासी प्लाट नम्बर 7, सन राईज पब्लिक स्कूल वाली गली, आर के पुरम सूर्य नगर तारों की कूट, दुर्गापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 23.03.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 32/2021 ब उनवानी गोकुल चन्द बनाम रजनी शेरावत

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि है।

निर्णय **दिनांक 28.11.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 32/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2022 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के सिविल रिट पीटीशन नम्बर 10201/2024 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 की पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि परिवादी गोकुलचन्द एवं श्रीमती सुमन देवी उर्फ सुगना, निवासी प्लाट नम्बर 7, सनसाईज पब्लिक स्कूल वाली गली, आर के पुरम सूर्य नगर, तारों की कूट, दुर्गापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान द्वारा अप्रार्थीगण सचिन एवं रजनी शेरावत के विरूद्व माता–पिता एवं वरिष्ठ

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष अन्तर्गत धारा 4, 5, (1) (क) एवं (ख)सपठित धारा 25 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ अधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2022 को आंशिक स्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण को प्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्लाट नम्बर ए–7, सन शाईन पब्लिक स्कूल वाली गली, आर के पुरम, सूर्य नगर, तारों की कूट, दुर्गापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर से बेदखल करने एवं प्रार्थीगण को शान्ति पूर्वक जीवन यापन एवं रहवास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु एक तरफा फैसला कर दिया गया। आवेदन पत्र में गोकुलचन्द व श्रीमती सुमन देवी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती रजनी शेरावत के ऊपर जो आरोप लगाये गये है वह मनगढन्त, झूंठे, काल्पनिक एवं बनावटी है जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध दूर दूर तक नहीं है। अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 4 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ होने पर आवेदन किया जा सकता है, में प्रार्थी श्री गोकुल चन्द एवं श्रीमती समुन देवी द्वारा कर्ज लेकर अपने बच्चों की शादी करना बताया गया है वह सरासर झूंठ है। इस सबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजात अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये । प्रार्थीगण की दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल मे खुशहाल थी और सबसे छोटा बेटा कोई नाबालिग नहीं था। प्रार्थी गोकुल चन्द राजकीय वित्त विभाग जयपुर से मुख्य लेखाधिकारी के पद से रिटायर है जिन्हें वर्तमान में करीब 60–70 हजार रूपये पेंशन के रूप में प्राप्त होते है। अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 5 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक जो शारीरिक रूप से असहाय हो, उनकी ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा आवेदन किया जा सकेगा, के अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा अपनी वृद्वावस्था एवं कई बीमारियो से ग्रसित होने के कारण भी अतुल दीक्षित पुत्र श्री कैलाश चन्द दीक्षित एवं विकास गुप्ता को उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त अधिकार प्रदान किये गये जबकि प्रार्थीगण की हैल्थ बिल्कुल ठीक थी। प्रार्थी श्री गोकुल चन्द रोजाना दौड लगाने जाते थे और साथ में अपनी पत्नी श्रीमती सुमन देवी को भी ले जाते थे । दोनों प्रार्थीगण ने कई बीमारियों का जिक्र किया गया है लेकिन एक भी मेडिकल की पर्ची या डाक्टरों का इलाज चलाये जाने के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिनसे साबित हो सके की प्रत्यर्थीगण के क्या गम्भीर बीमारी थी और वह किस स्तर पर थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से सचिन मूण्डोतिया मिला हुआ है। सबने सोची समझी साजिश के तहत जरिये अखबार में दिनांक 12.06.2021 को अप्रार्थीगण अपने पुत्र सचिन व पुत्रवधु श्रीमती रजनी शेरावत को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करने का इश्तेहार प्रकाशित करवाया था लेकिन उससे पहले ही अपीलार्थी रजनी शेरावत का पति सचिन मूण्डोतिया अपीलार्थी व अपनी एक मात्र पुत्री श्रीप्रिया उर्फ आर्या को छोड कर बिना अपीलार्थी को बताये घर छोड कर चला गया। बाद में अपनी पत्नी एवं पुत्री के समाचार भी नही पूछे ना ही भरण पोषण की कोई व्यवस्था की, ना ही अपीलार्थिया के सास ससुर द्वारा कोई मदद की गई । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी एवं उसकी पुत्री भूखे मरने लगी तो अपीलार्थिया के पिता ने अपने घर लेकर चला गया । बाद में कुछ महीने पीहर में रहने के पश्चात अपीलार्थी का पिता अपीलार्थी को उसके ससुराल में पहुंचाकर आ गया था, तो अपीलार्थी अपने ससुराल में उक्त प्लाट में रही

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जिसको ससुरालवालों ने अपीलार्थिया व उसकी पुत्री के समाचार तक नहीं पूछे, उल्टे अपीलार्थिया के पति की गैर मोजूदगी में ससुरालवालों द्वारा अपीलार्थिया के साथ मारपीट कर दिनांक 27.09.2021 को पहने हुये कपडों में ही घर से निकाल कर भगा दिया, तब से अपीलार्थिया अपने पीहर में ही रह रही थी। वर्तमान में अपीलार्थिया किराये के मकान में निवासरत है और अध्यापक की तैयारी कर रही है। इस प्रकार सचिन मूण्डोतिया आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख दिनांक 26.08.2021 से 10–11 महिने पहले ही उक्त मकान को छोड कर चला गया था ऐसी स्थिति में सचिन मूण्डोतिया द्वारा प्रत्यर्थीगण को परेशान करने, तंग करने, लडाई झगड़ा करने व उनको घर से निकालने का कथन सरासर झूंठा है। प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण को गुमराह करते हुए एवं वास्तिविक तथ्यों को छिपाते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । इसलिए अपीलार्थिया व उसके पति के विरूद्व अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2022 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि ने उक्त्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के स्वामित्व का प्लाट नम्बर ए –7 रामकृष्ण पुरम टौंक रोड ए ब्लाक, शन साईन पब्लिक स्कूल वाली गली सूर्य नगर तारों की कूट दुर्गापुरा सांगानेर जयपुर में स्थित है। जिसको अपनी समस्त जमा पूंजी लगा कर खरीद किया था। तत्पश्चात प्रत्यर्थीगण ने लोन से उक्त खरीद शुदा प्लाट पर आवश्यक निर्माण करवाया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण उक्त मकान की एक मात्र कब्जा शुदा मालिक व स्वामी है। प्रत्यर्थीगण नें कर्ज लेकर अपने पुत्र सचिन का विवाह अपीलार्थी पुत्रवधु के साथ दिनांक 21.07.2018 को समस्त शादी का खर्च स्वयं उठाते हुये बिना दान दहेज लिये किया था। विवाह के उपरान्त अपीलार्थी का व्यवहार प्रत्यर्थीगण के साथ हमेशा ही दोयम दर्जे का रहा है। प्रत्यर्थीगण का पुत्र भी अपीलार्थी के रंग मे रंग चुका है । अगर प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी आवश्यकता के लिए अपने पुत्र से किसी प्रकार की मांग करते है तो अपीलार्थी किसी रूप से पूरा नही करने दिया जाता है। प्रत्यर्थीगण इसका विरोध करते है तो अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सख्या 2 के साथ मारपीट की जाती है । जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 के पिताजी श्री राधेश्याम सेरावत द्वारा बराबर सहयोग किया जाता है। अपीलार्थी व उसका पति प्रत्यर्थीगण के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौच, मारपीट करते है प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी को डराया धमकाया जाता है तथा समाज की मान मर्यादा भूल कर धमकी दी जाती है। प्रत्यर्थीगण व उनकी बेटी अपने ही घर में डर कर नौकरों की तरह रह रहे है । अपीलार्थी महारानी की तरह रह रही है। कुछ कहने पर प्रत्यर्थीगण को दहेज के मुकदमें में फंसाने व अपने भाईयों की धमकी देती है। प्रर्त्थीगण को डराया धमकाया जाता है । अपीलार्थी द्वारा अपने भाईयों से कुछ भी अनर्थ करवा सकती है। अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की गरज से उनके खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज करवाने के लिए थाने पर पहुंच जाती है जिसकी वजह से प्रत्यर्थीगण को भारी मानसिक, आर्थिक व शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अपीलार्थी बार बार गाली गलौच व लडाई झगड़ा करती है तथा उक्त मकान में हिस्सा मांगती है। जिसमें प्रत्यर्थीगण का पुत्र भी अपीलार्थी का बराबर सहयोग करता है। अपने पुत्र व अपीलार्थी के रवैये से तंग आकर 29 मार्च 2021 में अपीलार्थी के विरूद्व थाना सागानेर में एक प्रार्थना पत्र भी दिया

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

था तथा दिनांक 16.06.2021 को जरिये अखबार अपनी सम्पूर्ण जायदाद से अपने पुत्र सचिन को बेदखल किया जा चुका है। प्रत्यर्थीगण द्वारा बेटे बहू की बेजा हरकतों, गाली गलौच मारपीट से तंग आकर माता पिता एव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4, 5 (1) (क) एवं (ख) सपठित धारा 23 के अधीन अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद दायर कर प्रत्यर्थीगण ने अपने बेटे सचिन व अपीलार्थी पुत्रवधु को प्रत्यर्थीगण के साथ झगडा फसाद, गाली गलौच व मारपीट नहीं कराने हेतु पाबन्द करने, 10,000/रूपये प्रति माह अदा करने व प्रत्यर्थीगण के स्वामित्व के उक्त मकान से बेटे सचिन को एवं अपीलार्थी पुत्रवधु को बेदखल कर तुरन्त प्रभाव से खाली कराने का अनुतोष चाहा था। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी व उसका पति उपस्थित हुआ, किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद किसी प्रकार का जबाब व प्रत्युत्तर नहीं दिया गया । जिससे अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 09.3.2022 को एक पक्षीय बहस सुनी जाकर प्रत्यर्थी संख्या एक के स्वमित्व के उक्त मकान से प्रत्यर्थीगण के बेटे सचिन व पुत्रवधु को बेदखल किया जाकर एक माह में कब्जा प्रत्यर्थीगण को सम्भलाने के ओदश दिनांक 23.03.2022 को पारित किये गये गये है। प्रत्यर्थीगण उक्त आदेश से संतुष्ट है । प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पुत्र सचिन और पुत्रवधु रजनी शेरावत दोनों को पक्षकार बनाया जाकर अनुतोष चाहा गया था जबकि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा सचिन को पक्षकार ही नहीं बनया गया है। इसलिए विधिक रूप दूषित व त्रुटिपूर्ण अपील पेश की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 23.03.2022 को आवेदक प्रत्यर्थी संख्या एक के स्वामित्व के आवासीय मकान नम्बर ए–7 रामकृष्ण पुरम टौंक रोड ए ब्लाक, शन साईन पब्लिक स्कूल वाली गली सूर्य नगर तारों की कूट, दुर्गापुरा सांगानेर जयपुर से बेखदल किये जाने के आदेश को अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रत्यर्थी गोकुल चन्द ने अपने स्वामित्व की पुष्टि में जल महल हाऊसिंग को आपरेटिव सोसायटी लि॰ द्वारा जारी आवंटन पत्र 05.06.1981 की फोटो प्रति पेश की है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (1) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसी सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक की स्व अर्जित सम्पत्ति मकान नम्बर ए–7 रामकृष्ण पुरम, टौंक रोड ए ब्लाक, शन साईन पब्लिक स्कूल वाली गली, सूर्य नगर, तारों की कूट, दुर्गापुरा, सांगानेर जयपुर से अपीलार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

को तत्काल मकान खाली कर अन्यत्र निवास करने के आदेश पारित किये गये है। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **28.11.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner